पत्रांक : 09/पो0 मै0 छात्र0 पोर्टल–07/2020..65..

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ई–मेल

प्रेषक,

संजय कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला कल्याण पदादिकारी,
सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)

पटना, दिनांक..28/02/2

विषयः पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 अन्तर्गत PMS पोर्टल पर राज्य से बाहर एवं राज्य के अन्दर के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन एवं अनुमोदन के संबंध में

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–339 दिनांक–23.11.2021 एवं पत्रांक–19 दिनांक–10.02.2022

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक उक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 हेतु PMS पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों के सत्यापन एवं जाँच की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु आप सभी को निदेशित किया गया था, ताकि जिला स्तर पर गठित जिला छात्रवृत्ति समिति से अनुमोदनोपरान्त पात्र लाभुकों को DBT/PFMS के माध्यम से उनके खाता में राशि अन्तरित की जा सके। PMS पोर्टल पर कोटिवार ऑनलाईन प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध अन्तिम रुप से आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या SC कोटि के लिए 362813, ST कोटि के लिए 44404, BC कोटि के लिए 656607 एवं EBC कोटि के लिए 660329 है, यानि कुल–1724153 है, जिसके विरुद्ध जिला स्तरीय टीम के द्वारा अद्यतन SC कोटि के लिए 27934, ST कोटि के लिए 3271, BC कोटि के लिए 50380 एवं EBC कोटि के लिए 47796 यानि कुल–129381 आवेदन सत्यापित किये गये हैं, जबकि संस्थान स्तर पर कोटिवार कुल 1459268 आवेदन सत्यापित किये जा चुके हैं। जिला स्तर पर गठित टीम के द्वारा सत्यापित आवेदनों की संख्या बहुत ही कम है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। आप अवगत है कि भारत सरकार द्वारा की गयी समीक्षा के क्रम में सभी पात्र लाभुकों के बैंक खाता में दिनांक–15.03.2022 तक छात्रवृत्ति की राशि अंतरित करने का निदेश दिया गया है। दिनांक–15.03.2022 के बाद स्वीकृत आवेदनों के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा।

अतः जिला स्तरीय टीम के द्वारा सत्यापित आवेदनों का अनुमोदन जिला छात्रवृत्ति समिति से कराने हेतु दिनांक–04 एवं 05 मार्च 2022 को पहली बैठक आयोजित कर अनुमोदित कर ली जाय। तदोपरान्त दिनांक–11 एवं 12 मार्च 2022 को दूसरी बैठक आयोजित कर शेष सत्यापित आवेदनों का अनुमोदन कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि निर्धारित समयावधि में सभी योग्य लाभुकों को छात्रवृत्ति भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

विश्वासभाजन,

सचिव,	प्रधान सचिव,	(संजय कुमार)
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति	पि० वर्ग एवं अ० पि० वर्ग	अपर मुख्य सचिव।
कल्याण विभाग, बिहार।	कल्याण विभाग, बिहार।	